CHETANA
International Journal of Education
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))

Impact Factor
SJIF 2022 = 6.261

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Research Paper

Received on 21.08.2022
Reviewed on 28.08.2022
Accepted on 30.08.2022

शिक्षा का अधिकार 2009 एक अध्ययन

*अंजली यादव

प्रस्तावना

शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षरता से न लेकर एक ऐसे समाज निर्माण से लिया जाना चाहिए जो आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्तर पर सभी वर्गो को मुख्य धारा से जोडे तथा जिससे चहुंमुखी विकास हो। इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 16–14 वर्ष तक ही आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अब सरकार का उतरदायित्व हैं। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 21 (क) में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित कर लिया जिसे आधार बनाकर देश की संसद ने बच्चों के लिये निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू किया गया। तमाम प्रयासों के पश्चात् भी कायम निरक्षतरा के कारण ढूंढने का प्रयास करें तो पता चलता है कि हमारेदेश की अधिकांश जनसंख्या सरकार द्वारा लगू की गई अधिकांश योजनाओं, नियमों से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। जागरूकता का अभाव ही साक्षरता में बाधक व देश के माथे पर निरक्षरता के कलंक का कारण हैं।

शोध से सम्बन्धित अध्ययन

1. **विश्व शिक्षा रिपोर्ट (2015)**

शिक्षा के अन्दर विश्व में जो प्रगति हुई है उसका आंकलन इसमें प्रस्तुत किया है **यूनेस्को** ने 1952–2000 तक हुये शिक्षा के विकास का चयन कर महाद्वीपों की स्थिति के अनुसार उनकी शिक्षा के विकास कीरिपोर्ट प्रस्तुत कौ। इसके अनुसार शिक्षा के विकास से विश्व मे शांति लोकतंत्र आदि स्थापित किये जा सकते है।अपनी रिपोर्ट मे यूनेस्को ने अफ्रीका महाद्वीप को शिक्षा मे सर्वाधिक पिछड़ा बताया है। वहीं भारत में शिक्षा का स्तर काफी नीचे तथा शोचनीय है। यूनेस्को की इस रिपोर्ट मे सम्पूर्ण विश्व की शिक्षा के स्तर को दर्शाया गया है जिसमे अफ्रिका महाद्वीप को सबसे पिछडा बताकर भारत मे शिक्षा के अधिकार को उचित प्रकार से क्रियान्वयन न करने वाले देश की सूची मे रखा है।

2. **डा.निरंजनाराध्य एवं अरूणा कश्यप (2016)**

ने भारत में किये गये शिक्षा के अधिकार पर अपनी रिपोर्ट 2006 मे प्रस्तुत की, दोनों ने मिलकर अपनी रिपोर्ट मे यह कहा की भारत मे शिक्षा का अधिकार सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद लागू हुआ। अन्य देशो की तुलना मे भारत मे यह बहुत देर से लागू किया गया तथा यह कार्य राज्य सरकार पर अनिवार्य रूप से लागू करके केन्द्र सरकार ने इसे क्रियान्वयन का उचित तरीका निकाला। सुप्रिम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 ए मे निहित का इसे मौलिक अधिकार बना दिया है।

इस शोध मे इन्होंने निजी तथा सरकारी स्कूलों द्वारा किये गये कार्यो तथा निजी स्कूलों द्वारा इसे लागू करने मे आनाकानी का उल्लेख किया है। शिक्षा का अधिकार हाई कोर्ट के फैसले के बाद लागु किया जाता गया है। लागू करने के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार उचित कदम उठायेगी। शोध मे निजी व सार्वजनिक स्कुलो पर अध्ययन किया गया है।जिससे स्पेष्ट ज्ञात होता कि निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार को लागू करने मे रूचि नही दिखा रहै है। शिक्षको की रूचि इस अधिनियम लागू करने बहुत कम है।

3. **जेम्स बी. हाले (2017)**

ने शिक्षा के अधिकार को विभिन्न्न स्तरों में बांट कर अध्ययन किया है। इन्होने सामान्य शिक्षा क्षेत्र व विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र का विभाजन किया है तथा इन्है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के नाम दिये है। टीयर 1 मे विचार, वैज्ञानिक, अनुसंधान आधारित शिक्षा या सिर्फ सादे पुराने अच्छे शिक्षण प्रदान करना है। इस टीयर 1 में अनुदेशन के दौरान अनुदेशात्मक लक्ष्यों को प्रांप्त किया जाता है। तथा छात्र के प्रदर्शन पर निगरानी तथा उम्मीद के स्तर पर करे है। इसको सुनिश्चित किया जाता है। विशेष शिक्षा प्रदान की जाती टयर 2 मे समस्या के सुलझाने के मॉडल (PSM)का उपयोग किया जाता है। टीयर 3 मे जब टीयर दो के बच्चे की समस्याओं को सुलझाने का उपाय नहीं मिलते तो उसे टीयर तीन में है। की शिक्षा टीयर 3 मे शिक्षा सेवाओं के समान सेवाएं है लेकिन सेवाएं तीव्र होती है। तीव्रता बच्चों की जरूरत है और सिखने की शैली पर निर्भर करता है। बच्चे शिक्षक से अधिक गहन शिक्षा प्राप्त करते है। इसके साथ ही शिक्षक व अभिभावकों मे इस अधिकार के प्रति अज्ञानता तथा अरूचि स्पष्ट झलकती है। इन्होने शिक्षा के क्षेत्रो को विभिन्न स्तरो मे बांटकर इनके शिक्षा अधिकार को क्रियान्वयन मे आ रही दिक्कतो को प्रस्तुत किया है जिसमे अभिभावको की अज्ञानता व शिक्षको की निरसता का वर्णन है।

4. **यश अग्रवाल (2018)**

भारतीय शिक्षा प्रणाली को गंभीर चुनौतियों का सामना काना पड रहा है। सर्व प्रमुख बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकीय तथ पेशेवर दक्षता का अभाव है। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा इस वजह से अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने मे असमर्थ ही रही है। इसके अलावा इस कार्यक्रम मे सरकारी आंकडे वास्तविक आंकडो की तुलना मे बढ़ा–चढ़ा कर बताये गये है जिसकी वजह से शिक्षा के वास्तविक स्तर उचित पता नहीं चल पाया है। निजी स्कूलों मे बच्चों की रूचि व रूझान अधिक है ,सरकारी स्कूलों की तुलना में यश अग्रवाल ने अपने तर्क हरियाणा के चार जिलों पर किये गये अध्ययन के आधार पर दिये है। शिक्षा के अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का आंकलन करने के लिए इन्होने हरियाणा राज्य के चार जिलो को चुना जिसमे इसमे इन्होने पाया कि यहां पर आधारभूत सुविधाओ का अभाव है तथा सरकार द्वारा जो आंकडे प्रस्तुत किए गये वे वास्तविक आंकडो से बढा–चढाकर बताये गये तथा अभिभावको की अभिवृति व रूचि मे कोई अन्तरी नही है। दोनो ही इसके क्रियान्वयन मे कोई विशेष रूचि नही दिखा रहे है।

समस्या का औचित्य

देश के सभी बच्चों को शिक्षा से जोडने एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाने हेतु वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के अन्तर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना इससे होने वाले लाभ, अधिनियम के आलोचनात्मक स्वरूप आदि क्षेत्रों में शोध कार्य हो चुके हैं, परन्तु शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम के प्रति जागरूकता से सम्बन्धित क्षेत्र में अब तक किसी प्रकार का कोई शोध कार्य नहीं हुआ हैं। जबकि यह पक्ष कही अधिक महत्व रखता हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने निम्नाकिंत समस्या को शोध हेतु चयनित किया हैं।

समस्या कथन

शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों की समस्या का अध्ययन

शोध के उद्देश्य

1. शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों की समस्या का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों की समस्या का अध्ययन करना।
3. शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों की समस्या का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

1. शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों की समस्या के मध्यमानों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों की समस्या के मध्यमानों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों की समस्या के मध्यमानों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

चर :

शोध को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने में चर की अहम भूमिका होती है। ये परिवर्तनशील होते हैं –

पोस्टमैन तथा ईगन के अनुसार, ''चर वह लक्षण या गुण हैं जिसके अनेक प्रकार के मूल्य हो सकते हैं।''

चर दो प्रकार के होते हैं –

- स्वतन्त्र चर : स्वतन्त्र चर वे होते हैं जो स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं। स्वतंत्र चर में प्रविष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकोंको लिया गया है।
- आश्रित चर : आश्रित चर के अन्तर्गत उन चरों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी के अधीन आते हैं। आश्रित चर के रूप में शिक्षा का अधिकार को लिया गया है।

शोध विधि

अध्ययन विधि से तात्पर्य एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की प्रणाली से है तथा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन द्वारा सत्य की खोज करना। प्रस्तुत अनुसंधान में 'सर्वेक्षण विधि' का चयन किया गया है।

शोध की जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जयपुर जिले प्रविष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों जनसंख्या के रूप में लिया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा यादृच्छिक विधि द्वारा 300 अभिभावकों जिसमें 150 शहरी एवं 150 ग्रामीण अभिभावकों को लिया गया है इसके अतिरिक्त 100 विद्यार्थियों का भी चयन किया गया है जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राओं को लिया गया है।

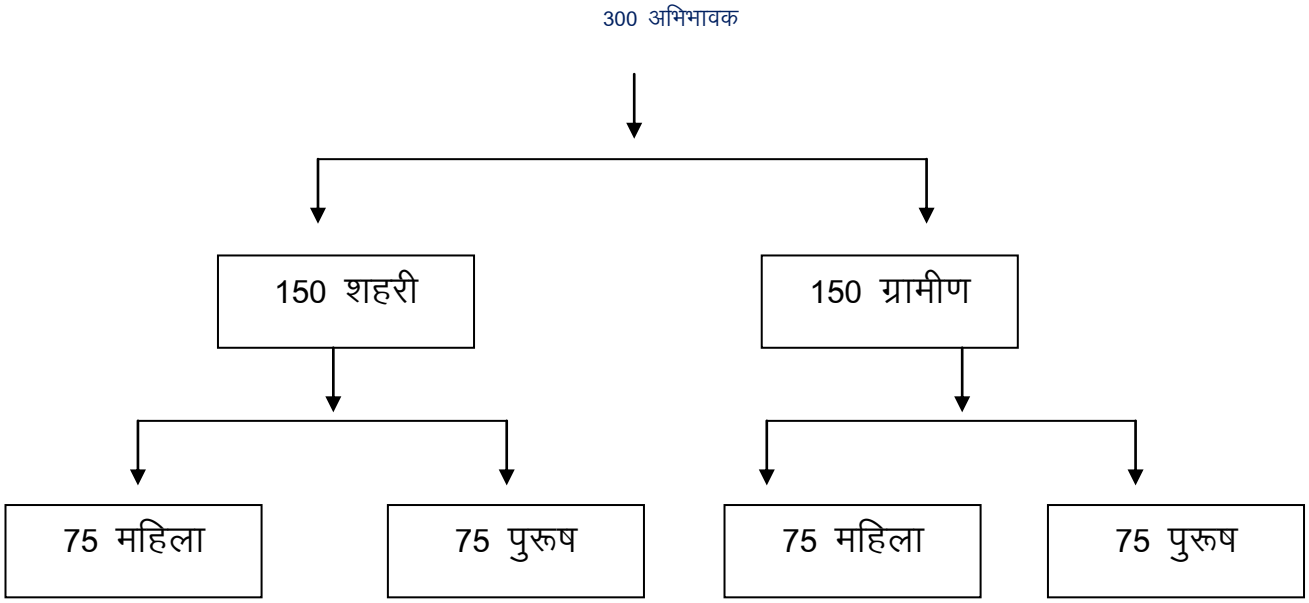

शोध के उपकरण :

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

परीक्षणों की सहायता से संग्रहित किए गए आंकड़ों से प्राप्त सूचनाऐं जटिल असम्बद्ध तथा बिखरे रूप में होती है। उचित विवेचना के लिए सामग्री को संगठित करना आवश्यक है। इसके लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है।

- मध्यमान
- प्रमाप विचलन
- टी टेस्ट

शोध की परिसीमाऐं

- यह शोध कार्य राजस्थान राज्य के जयपुर तक सीमित है।
- यह शोध अध्ययन जयपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र तक सीमित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, संध्या;''**शिक्षा मनोविज्ञान''**, विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी, 2005
2. भार्गव महेश;**"मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन"**, हरप्रसाद भार्गव बुक हाउस, शैक्षिक प्रकाशन, आगरा, 1997,
3. भटनागर ए.बी., भटनागर मीनाक्षी;**"भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास"**,आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2006
4. भटनागर सुरेश;''**शिक्षा मनोविज्ञान''**, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ 2008
5. भटनागर सुरेश;**''अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार''**, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2005
6. बेस्ट जॉन डब्ल्यू;**"रिसर्च इन एजूकेशन"**,प्रेक्टिस हॉल, (इंक) ऐंगिल बुक क्लिफस,यू.एस.ए.,1958

7. बोर्ग डेलनपेन;**"अण्डर स्टेडिंग एजुकेशन रिसर्च",**मेक्ग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, 1958

8. दत्ता संजय;''**शिक्षा–मनोविज्ञान में अधिगम एवं व्यक्तित्व'',** जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, संस्करण–2005

9. क्रेच एवं क्रचफील्ड;**"थ्यौरी एण्ड प्राब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी",** मैग्राहिल पब्लिकेशन, न्यूयार्क 1948.

10. गुड, वी. कार्टर और स्केट्स डी.ई.;**"मैथड्स ऑफ रिसर्च",** एप्लटन सेन्चुरी क्राफ्टस (इंक), न्यूयार्क, 1954.

11. गुडे एवं हॉट;**"मैथडस इन सोशल रिसर्च",** मेग्राहिल बुक कम्पनी,न्यूयार्क, 1962,

12. कपिल एच.के.;**"अनुसंधान विधियाँ",** एच.पी. भार्गव बुक हाउस,आगरा, 1998

13. कपिल एच.के.;**"सांख्यिकी के मूल तत्व",** एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2007

14. करलिंगर एफ.एन.;**"फाउंडेशन ऑफ बिहेवरियल रिसर्च",** सेन्चुरी क्राफ्ट, न्यूयार्क, 2002

15. कुलश्रेष्ठ एस.पी.;''**शिक्षा मनोविज्ञान'',** आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2008

16. मेकेगुइन, एफ.जे.;**"एक्सपेरीमेंट्स साइकोलोजी"**, प्रेक्टिस हॉल ऑफ प्रा.लि., 1969

17. रमल जे.एम.एन.;**"इन्ट्रोडक्शन टू रिसर्च पोजीशन इन एजुकेशन",** हार्पर ब्रदर्स, न्यूयार्क, 1986.

18. राय पारसनाथ एवं भटनागर चांद;**"अनुसंधान परिचय"** लक्ष्मीनारायण अग्रवाल,द्वितीय संस्करण, आगरा, 1974

19. रोकच. एम;**"बिलीफ एटीट्यूडस एण्ड वेल्यूस",** जैसी बॉस, सेनफ्रांसिस्को, 1968

20. रेमर्स, रूमेल एवं गेज;**"एन इन्ट्रोडक्शन टू मेजरमेन्ट एण्ड एव्ल्यूशन",**एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1964

21. शर्मा आर.ए.;''**शिक्षा अनुसंधान'',** आर. लाल बुक डिपो, मेरठ 2008

22. शर्मा आर.ए.; ''**अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार**'', आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ, 2007

23. शर्मा, आर.ए.;**''शिक्षा अनुसंधान'',**सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, 2005

24. सरीन एवं सरीन;**"शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ",** विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, नवीनतम संस्करण,2002

25. सुखिया एवं मल्होत्रा;**"शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व",**विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, (1990–91)

26. सेवानी अशोक, सिंह उमा;**"शिक्षा मनोविज्ञान''**, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा, प्रथम संस्करण, 2008

Corresponding Author
* **अंजली यादव**, *शोधार्थी*
श्याम यूनिवर्सिटी, दौसा, राजस्थान
Email: ujascollege@gmail.com, *Mob.-9664059925*